तीसरा अध्याय

3. लेन देन से संबंधित लेखपरीक्षा आपत्तियाँ

इस अध्याय में राज्य शासन की कंपनियों एवं सांविधिक निगम के लेन देनों की नमूना जाँच से निकलने वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को सम्मिलित किया गया है।

सरकारी कंपनियाँ

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड

3.1 दर अनुबन्ध का अनियमित अन्तिमीकरण

सब्जियों के बीज के लिए दर अनुबन्ध के अनियमित अन्तिमीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 47.26 करोड़ का ठेका अयोग्य निविदाकारों को दिया गया

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर (कंपनी) अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के लिए विभिन्न फसलों एवं सब्जियों के बीजों {प्रमाणित [1]/ओपन पॉलीनेटेड ट्रूथ लेवल[2] (ओपीटीएल)} का क्रय करती है। यह कार्य कंपनी द्वारा पंजीकृत बीज उत्पादकों/ आपूर्तिकर्ताओं से ओपन एंडेड दर अनुबन्ध प्रस्ताव (आर.सी.ओ.) आमंत्रित कर अंतिमीकृत किए गए दर अनुबन्धों के आधार पर किया जाता है। आर.सी.ओ. के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दरों की तुलना कंपनी द्वारा पूर्व में अंतिमीकृत दरों (50 प्रतिशत बढ़ाकर) एवं मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एमपी एग्रो) की प्रचलित दरों से की जाती है। तदनुसार, कंपनी उपरोक्त तीनों दरों में से न्यूनतम दर के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिप्रस्ताव जारी करती है एवं प्रतिप्रस्ताव दर स्वीकार करने वाले आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबन्ध अंतिमीकृत किया जाता है। ये दर अनुबन्ध एक वर्ष या नए दर अनुबन्धों के अंतिमिकरण तक प्रभावी रहते हैं।

कंपनी ने वर्ष 2010-11 के लिए प्रमाणित एवं ओपीटीएल किस्मों के बीजों के लिए क्रमशः 29 एवं 40 आर.सी.ओ आमन्त्रित (11 फरवरी 2011) किए । जवाब में अंतिम तिथि (26 मार्च 2011) तक 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए। तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा 26 मार्च 2011 को किया गया एवं 13 बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य पाए गये। तदनुसार इन 13 बोलीदाताओं की वित्तीय बोली 13 अप्रैल 2011 को खोली गई जिन्होने 17 प्रमाणित एवं 37 ओपीटीएल बीजों के लिए दर उद्धत किए थे। प्राप्त दरें अधिक होने के कारण निविदा समिति ने बोलीदाताओं के साथ बातचीत आयोजित (2 मई 2011) की। बातचीत के लिए केवल एक बोलीदाता यानी मेसर्स राज सीड्स ट्रेडर्स भोपाल उपस्थित था। बातचीत के पश्चात् निविदा समिति ने प्रमाणित आलू एवं प्रमाणित अरबी के लिए क्रमशः ₹ 25 एवं ₹ 30 प्रति किलो की दर की सिफारिश की। बाकी 52 प्रमाणित/ओपीटीएल बीजों के मामले में समिति ने

---

[1] किस्म के संदर्भ में बीज प्रमाणिकरण एजेंन्सी द्वारा प्रमाणित।

[2] अप्रमाणित बीज जिसमें परागण के कारण एक से अधिक किस्म सम्मिलित हो।

आर.सी.ओ. से प्राप्त दरें अथवा पूर्व दरों का 150 प्रतिशत अथवा एम.पी.एग्रो द्वारा पूर्व में अनुमोदित दरें जो भी कम हो की दर पर बोलीदाताओं को प्रतिप्रस्ताव जारी करने की सिफारिश की। तदनुसार, कंपनी ने सभी 13 बोलीदाताओं को प्रतिप्रस्ताव जारी (3 मई 2011 एवं 18 मई 2011) किए जिसमें से केवल 8 ने उसे स्वीकार किया। आपूर्तिकर्ताओं से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कंपनी ने मई 2011 एवं जुलाई 2011 में प्रमाणित बीजों की 11 फसलों एवं ओपीटीएल बीजों की 25 फसलों के लिए आठ[3] आपूर्तिकर्ताओं के साथ दर अनुबन्ध (आर.सी.) अंतिमीकृत किया। तत्पश्चात् कंपनी ने मेसर्स शेफाली बिजनेस इन्टरनेशनल, रायपुर के अनुरोध (25 अप्रेल 2011) पर पहले से अंतिमीकृत आर.सी के अनुरूप ही उसके साथ भी आर.सी. अंतिमीकृत कर लिया, हालांकि उन्होने निविदा में हिस्सा नहीं लिया था।

दर अनुबंध के अंतिमीकरण से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में निम्नलिखित अवलोकित हुआ

क. दर अनुबंध के अंतिमीकरण में अयोग्य बोलीदाताओं तथा निविदा प्रणाली में विसंगतियों के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ

- **सक्षम प्राधिकारी की समुचित स्वीकृति प्राप्त किए बिना दर अनुबंध प्रस्ताव खोलना**

कंपनी ने निविदा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बागवानी एवं फार्म वानिकी विभाग और कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से दो तकनीकी सदस्यों सहित आठ सदस्यों की एक समिति गठित (14 मार्च 2011) की थी । यद्यपि छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के नियम 4.12 के तहत आवश्यक तकनीकी और वित्तीय बोली के मूल्यांकन के लिए एक पूरक क्रय समिति का गठन नहीं किया गया था। निविदा मूल्यांकन समिति ने स्वयं के द्वारा तकनीकी बोलियों (26 मार्च 2011) तथा वितीय बोलियों (13 अप्रैल 2011) का मूल्यांकन बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया गया। इसके अलावा, तकनीकी और वित्तीय बोली के मूल्यांकन के समय दोनों तकनीकी सदस्य मौजूद नहीं थे। तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन गैर तकनीकी सदस्यों (सभी कंपनी से) के द्वारा किया गया जो छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय के नियम 4.12 जिसके अनुसार तकनीकी सदस्य की निविदा समिति में उपस्थिति अनिवार्य है का स्पष्ट उल्लंघन है, अतः पूरी निविदा प्रक्रिया को नियम के विरूद्ध किया गया।

सरकार ने तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के लिए पृथक समिति का निर्माण न करने के तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2011) कि तकनीकी सदस्यों की लगातार अनुपस्थिति के कारण अन्य सदस्यों के द्वारा बोली खोली तथा मूल्यांकित की गयी।

जवाब पुष्टि करता है कि तकनीकी सदस्यों के बिना ही बोलियों को खोला तथा तकनीकी मूल्यांकन किया गया। कंपनी के द्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान का अनुपालन करने के लिए तकनीकी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने

[3] अवनि ट्रेडर्स रायपुर, के.बी.ए. ट्रेडर्स इंदौर, संयोग मार्केटिंग प्रा. लि. रायपुर, रॉयल सीड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स प्रा. लि. कोलकाता, लौकिक सीड्र्स एण्ड फर्टिलाइजर्स रायपुर, रमा ट्रेडर्स भोपाल, राज सीड्स भोपाल एवं नेफेड सीड्स राँची।

के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा, उत्तर में एक पृथक निविदा मूल्यांकन समिति का गठन नहीं करने पर कुछ नहीं कहा गया है।

- **अयोग्य बोलीदाताओं के साथ दर अनुबंध अंतिमीकरण**

  i. दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों के खंड 1.1 के अनुलग्नक III के अनुसार, बोलीदाता/ प्रस्तावक को प्रमाणित सब्जी बीज का पंजीकृत उत्पादनकर्ता होना चाहिए और बीज अधिनियम, 1966 तथा बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के अनुसार बीज की बिक्री के लिए लाइसेंस के साथ ही बीज प्रमाणन के लिए प्रमाणन एजेंसी में पंजीकृत होना जरूरी है। हलांकि, हमने पाया 13 निविदाकर्ताओं में से सिर्फ एक बोलीदाता अर्थात केबीए ट्रेडर्स, इन्दौर के पास प्रमाणित बीज के उत्पादन के वैध अनुज्ञप्ति था। शेष 12 बोलीदाताओं के द्वारा इस मापदंड को पूर्ण नहीं किया गया।

  ii. दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों में निहित खण्ड 1.2 के अनुलग्नक III के अनुसार बोलीदाता प्रस्तावक को निविदा दस्तावेजों के साथ, नर्सरी विवरण के साथ फसलवार उत्पादन क्षेत्र, अद्यतन स्थिति में बी-1 एवं किसानों की सूची तथा प्रत्येक फसल का क्षेत्र, यदि बीज उत्पादन कार्यक्रम किसी अन्य किसानों की भूमि पर लिया गया। यद्यपि, किसी भी बोलीदाताओं ने उपर्युक्त दस्तावेजों को संलग्न नहीं किया था।

  iii. दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों में निहित खण्ड 1.4 के अनुलग्नक III के अनुसार बोलीदाता/प्रस्तावक को बीज सामग्री का स्त्रोत तथा विभिन्न किस्म के ओ.पी.टी एल बीज उत्पादन का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यद्यपि किसी भी बोलतदाता ने आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं करायी।

  सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों को बनाने के समय निविदा समिति द्वारा अनुलग्नक III की नियम और शर्तों को विलोपित कर दिया तथा दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों में पात्रता मानदंड का निर्धारण बोलीदाता के अनुलग्नक IV के अनुसार किया गया यद्यपि, लिपिकीय गलती के कारण दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों में परिवर्तन नहीं किया जा सका। यह भी कहा गया कि जो बोलीदाता द्वारा दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों के अनुसार पात्रता मानदंड अनुलग्नक IV को पूर्ण करने वाले बोलीदाता को निविदा समिति के द्वारा पात्र माना गया।

  उत्तर मान्य नहीं है तथा पश्चविचार प्रतीत होता है क्योंकि निविदा समिति द्वारा पात्रता मापदंड बदल दिया गया था, जैसा कि उपर कहा गया है। इसके अलावा दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों के अनुलग्नक IV में यह भी निहित था कि बोलीदाता को बीजों का स्वयं उत्पादनकर्ता होना चाहिए। हलांकि, 13 बोलीदाताओं में से 12 बोलीदाताओं ने बीज उत्पादन से संबंधित दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं कराया।

- **निविदा में भागीदारी नहीं करने पर भी फर्म के साथ दर अनुबंध अन्तिमीकरण करना**

  कंपनी ने मेसर्स शेफाली बिजिनेस इंटरनेशनल, रायपुर के साथ दर अनुबंध किया (जुलाई 2011) जो कि नियम विरूद्ध था क्योंकि फर्म ने निविदा में भाग नहीं लिया था।

सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि कंपनी के संचालक मण्डल की चौदहवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जो फर्मे दर अनुबंध प्रस्ताव में भाग नहीं लेती स्वयं पंजीकरण करा सकती हैं तथा उन्हे भी मदों के प्रचलित दर से आदेश प्रसारित किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि जवाब में कहा गया है कि योजना को जून 2011 से बंद कर दिया तथा इस प्रकार मेसर्स शेफाली बिजिनेस इन्टरनेशनल के साथ दर अनुबंध नियम विरूद्ध था।

उपर्युक्त से यह प्रमाणित होता है कि सभी 13 बोलीदाताओं ने तकनीकी बोली को अर्हक नहीं कर पाये एवं इसी प्रकार उनके वित्तीय बोली नहीं खोला जाना चाहिए था। यद्यपि, निविदा समिति ने उपरोक्त तथ्यों की उपेक्षा करते हुए सभी 13 बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोला गया एवं नौ अयोग्य बोलीदाताओं से दर अनुबंध कर वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान ₹ 47.27 करोड़ की सब्जी बीज की खरीद की गई जिसके परिणामस्वरूप इन बोलीदाताओं को अनुचित लाभ पहुँचाया गया जैसा कि ***अनुलग्नक - 3.1*** में विस्तृत है।

यह उल्लेखनीय है कि कंपनी की उपर्युक्त विसंगतियों के बारे में जानते हुए भी दर अनुबंध अंतिमीकरण किया गया एवं निविदा समिति के सदस्यों (उप महाप्रबंधक (विपणन), उप महा प्रबंधक (स्थापना) उप प्रबंधक (लेखा) और जिला प्रबंधक रायपुर) को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया (26 नवंबर 2011) कर्मचारियों को उनके जबाब 10 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना था परन्तु मात्र एक ही जवाब[4] जिला प्रबंधक, रायपुर से मिला (28 दिसम्बर 2011) तथा लेखापरीक्षा तिथि तक अन्य सभी कर्मचारियों ने उनके जवाब प्रस्तुत नहीं किए (अप्रैल 2013) यहां तक कि कंपनी के द्वारा न किसी भी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई न ही लेखापरीक्षा तिथि तक किसी भी दर अनुबंध को निरस्त किया गया था।

ख. कपटपूर्ण बोलीदाताओं से ₹ 24.42 करोड़ की बीज खरीदी

दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेज के सामान्य शर्तो के खण्ड 5.1 के अनुसार, किसी भी बोलीदाता से एक से अधिक बोली स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति दर अनुबंध प्रस्ताव में एक संगठन के द्वारा एक से अधिक नामों में प्रतिनिधित्व करता है, तो इस तरह के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

हमने पाया कि आठ बोलीदाताओं के साथ दर अनुबंध किया गया, जिसमें दो बोलीदाताओं ने चार बोलियां विभिन्न नामों से भरी जिसमें समान रूप से पंजीकृत पता टेलीफोन एवं मोबाइल नम्बर और हस्ताक्षर जो आगे दिया गया है ।

[4] जिला प्रबंधक, रायपुर ने उत्तर में कहा कि उसकी भूमिका निविदा समिति में सिर्फ तुलनात्मक विवरण कराने में सहायता करना एवं अन्य लिपिकीय कार्य करना था। उन्होंने यह भी कहा कि वह निर्णय लेने की प्रकिया में शामिल नहीं था।

फर्म का नाम	पता	सम्पर्क नम्बर	बीज खरीदी 31 मार्च 2013 तक (₹ करोड़ में)	अभियुक्तियां
राज सीडस ट्रेडर्स	ए-7 बी.डी.ए. कालोनो तुलसी नगर, भोपाल 462003	0755-2551094 94250-11024	1.65	हस्ताक्षर से यह प्रमाणित हो रहा था कि एक ही व्यक्ति द्वारा दोनों फर्मो के लिए पत्राचार किया गया।
रमा ट्रेडर्स	ए-7 बी.डी.ए. कालोनो तुलसी नगर, भोपाल 462003	0755-2551094 94250-11024	0.29	
अवनी ट्रेडर्स	54, एश्वर्या रेसेडेनसी तेली बांधा, जी.ई रोड, रायपुर	0771-4034171 99261-99999	12.87	हस्ताक्षर से यह प्रमाणित हो रहा था कि एक ही व्यक्ति द्वारा दोनो फर्मो के लिए पत्राचार किया गया।
के.बी.ए.ट्रेडर्स	54, एश्वर्या रेसेडेनसी तेली बांधा, जी.ई रोड, रायपुर	0771-4034171 99261-99999	9.61	
योग			**24.42**	

इससे इंगित होता है कि दो बोलीदाताओं के द्वारा विभिन्न नामों से संचालन किया जा रहा था जो कि निविदा शर्तों के विरूद्ध है। कंपनी को उच्च दर प्राप्ति की जानकारी के बावजूद दर अनुबंध अंतिमीकरण के दौरान दस्तावेजों का सत्यापन एवं बोलीदाताओं की पहचान नहीं की गई थी जबकि कदाचार प्रमाणित हो रहा था। बोली निरस्तीकरण एवं बोलीदाताओं को काली सूची मे डालने के बजाय जो कदाचार में लिप्त थे, कंपनी द्वारा उच्च दर को स्वीकार किया गया। कंपनी द्वारा बोलीदाताओं के दस्तावेजो को ठीक से सत्यापन में विफलता से कपटपूर्ण बोली के माध्यम से उच्च दर अंकित करने में सहायता किया गया। उदाहरण के लिए, प्रमाणित आलू बीज एवं धनियां बीज का दर अनुबंध क्रमशः ₹ 25 प्रति किलोग्राम तथा ₹ 180 प्रति किलोग्राम पर किया गया जबकि प्रचलित दर क्रमशः ₹ 16 प्रति किलोग्राम तथा ₹ 140 प्रति किलोग्राम था (अग्र पैराग्राफ में चर्चा की गई है)। इस प्रकार, दर अनुबंध अंतिमीकरण करने में एवं वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान ₹ 24.42 करोड़ की बीज खरीदी की गई जो बोलीदाता नियम विरूद्ध थे एवं जिसके परिणामस्वरूप उन्हे अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया। बीजों के कुल मूल्य (₹ 47.26 करोड़) में से 52 प्रतिशत बीजों का क्रय उपर्युक्त सिर्फ चार फर्मों में से किया गया।

सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि उपरोक्त चार फर्मों के मालिक अलग-अलग होने से सभी फर्में अलग थी। मेसर्स केबीए ट्रेडर्स इन्दौर जो इन्दौर का था एवं उसके फोन नम्बर और पता रायपुर का था जो उसके रायपुर अभिकर्ता का पता एवं फोन नम्बर हो सकता है।

जबकि तथ्य यह है कि प्राप्त बोली में विभिन्न नामों, उनके पते एवं टेलीफोन/मोबाइल नम्बर पहचाने जाने योग्य थे जो यह प्रमाणित करता है कि सभी प्राप्त बोलियों के बोलीदाता एक दूसरे से संबंधित एवं सभी का संचालन एक ही स्थान से किया जा रहा है। इससे यह कपटपूर्ण बोली प्रमाणित होती है। इसके अलावा, निविदा प्रकिया मेसर्स केबीए ट्रेडर्स प्रधान के रूप में तथा अवनी ट्रेडर्स द्वारा मेसर्स केबीए ट्रेडर्स के अभिकर्ता

के रूप में भाग लेना दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों के खण्ड 5.1 की सामान्य शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दर अनुबंध प्रस्ताव में एक से अधिक बोली एक ही संगठन या विभिन्न नामों से प्रतिनिधित्व करता है तो इस तरह के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग. उच्च दरों पर आलू और धनियां बीज की खरीदी ₹ 14.24 करोड़

हमने पाया कि प्रति प्रस्ताव निर्गमन के दौरान ओपीटीएल बीजों के संबंध में कंपनी द्वारा एमपी एग्रो के दर और 25 फसलों के अंतिमीकृत दर अनुबंध के साथ तुलना नहीं किया गया। इसी तरह, 11 फसलों के प्रमाणित बीज के लिए अंतिमीकृत दर अनुबंध में से कंपनी द्वारा तीन फसलों के दरों की तुलना नहीं की गयी। ओपीटीएल बीज की 25 फसलों और प्रमाणित बीज की तीन फसलों की दरों के तुलना केवल पिछले दरों से कर दर अनुबंध को अंतिमीकृत किया गया।

इसके अलावा, बागवानी विभाग मध्यप्रदेश में उपलब्ध दो फसलों के दरों पर जो वर्ष 2011-12 से संबंधित प्रमाणित बीज (दरों में तुलना नहीं की गई) पर, हमने पाया कि आलू और धनियां की प्रभावित बीज का अत्यधिक उच्च दरों पर दर अनुबंध अंतिमीकृत किया गया था जो आगे दर्शाया गया है।

क्र.सं	प्रमाणित बीज (फसल)	बागवानी विभाग, का दर (₹ प्रति किलो ग्राम)	कंपनी द्वारा दर अनुबंध अंतिमीकृत (₹ प्रति किलो ग्राम)	दर अनुबंध अंतिमीकृत	कुल मूल्य की बीज खरीदी (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1	आलू	16	25	नेफेड को छोडकर आठ फर्मे	13.76 (*अनुलग्नक - 3.2* में वर्णित है)
2	धनियां	140	180	सिर्फ दो फर्मे – रमा ट्रेडर्स एवं राज ट्रेडर्स	0.48 (*अनुलग्नक - 3.3* में वर्णित है)
				योग	14.24

यह उल्लेखनीय है कि दो फर्मों जिनके साथ धनियां बीज के लिए दर अनुबंध किया गया था वास्तव में एक ही फर्म द्वारा अलग-अलग नामों से बोलीयां प्रस्तुत की थी जिसकी चर्चा पिछले पैराग्राफ में है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि मई 2011 में दर अनुबंध को अंतिमीकृत करते समय एमपी एग्रो की दरें उपलब्ध नहीं थीं। इसके अलावा, निदेशक बागवानी, एमपी द्वारा दर अनुबंध अंतिमीकृत अगस्त 2011 में नर्सरी दरों पर किया गया था जबकि कंपनी के द्वारा गतंव्य स्थल तक पहुंच को शामिल करके दर अनुबंध किया गया। इस प्रकार, कम दर का निर्धारण उपलब्ध दर आंकड़ों के आधार पर किया गया था।

उत्तर पुष्टि करता है कि एमपी एग्रो की दर के अभाव में दरों की तुलना नहीं की गई जो कंपनी की नीतियों में कमी को इंगित करता है तथा सिर्फ एमपी एग्रो के दर से तुलना की गई। दरों में तुलना का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान लागू दरों तथा निविदा में प्राप्त दरों की वास्तविकता का आकलन करना है। इसलिए दरों की तुलना के प्रयोजन के लिए अन्य सार्वजनिक उपक्रमों राज्य सरकार द्वारा अंतिमीकृत दर प्राप्त करना चाहिए,

सिर्फ एमपी एग्रो से निर्धारित दर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा, यह जानते हुए भी कि निदेशक बागवानी एमपी का न्यूनतम दर है, कंपनी के द्वारा वहां के प्रस्ताव को प्राप्त कर पूर्व मे अंतिमीकृत दरों के साथ वास्तविकता का आकलन करने की कोशिश नहीं की गयी।

इस प्रकार, नियम विरूद्ध सब्जी बीज दर अनुबंध अंतिमीकरण के परिणामस्वरूप अयोग्य बोलीदाताओं को ₹ 47.26 करोड़ मूल्य का कार्य आदेश मिला।

कंपनी को दर अनुबंध की अंतिमीकरण में पारदर्शी तरीके से लागू नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं से अपने वित्तीय हितों की रक्षा की जानी चाहिए। कंपनी को इस निविदा में हुई अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

3.2 उच्च दरों में खरीदी से अतिरिक्त व्यय

उच्च दर में जूट बोरी की खरीदी के कारण ₹ 23.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर (कंपनी) विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन अपने पंजीकृत किसानों के माध्यम से करता है। बीजों का प्रसंस्करण और पैकिंग के उपरांत उसे किसानों को प्रमाणित बीज रूप में बेचते हैं।

बीज का पैकिंग जूट बोरी में किया जाता है। जूट बोरी की आवश्यकता आंकलन खरीफ मौसम, के अनुमानित उत्पादन जो उस मौसम के उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है। इसी तरह, रबी मौसम के लिए जूट बोरी की खरीदी पिछले खरीफ फसल के अधिशेष जूट बोरी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, यदि हो तो।

खरीफ 2011 एवं रबी 2011-12 के मौसम के लिए जूट बोरी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, कंपनी ने निविदा प्रक्रिया पूर्णकर 40 किलोग्राम एवं 50 किलोग्राम की बोरी का दर क्रमशः ₹ 37.73 एवं ₹ 42.63 प्रति बोरी की दर से मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, रायपुर (नेफेड) से अनुबंध किया (10 अक्टूबर 2011)। अनुबंध की खंड 11 के अनुसार अनुमोदित दर एक वर्ष के लिए 9 अक्टूबर 2012 तक वैध होगा। इसी तरह, खरीफ 2012 एवं रबी 2012-13 मौसम के लिए 50 किलोग्राम बोरी तथा 40 किलोग्राम बोरी के लिए क्रमशः ₹ 43.92 प्रति बोरी एवं ₹ 38.61 प्रति बोरी की दर से कंपनी ने नेफेड और मेसर्स के.एल. जूट, कोलकाता से अनुबंध किया (6 अक्टूबर 2012)। तदनुसार, खरीफ फसल 2012 के लिए जूट बोरी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कंपनी ने नेफेड (8 अक्टूबर 2012) एवं मेसर्स के. एल. जूट, कोलकाता (18 अक्टूबर 2012) को क्रमशः 50 किलोग्राम वाली 10 लाख जूट बोरी एवं 40 किलोग्राम वाली 12.16 लाख जूट बोरी का कार्य आदेश दिया गया।

हमने पाया कि नेफेड के साथ अनुबंधित प्रथम अनुबंध जो कि 9 अक्टूबर 2012 तक वैध था, के अनुसार 50 किलोग्राम की भरती वाली बोरी की दर ₹ 42.63 प्रति बोरी थी। यद्यपि, इसी वैधता अवधि में प्रचलित न्यूनतम दर ₹ 42.63 प्रति बोरी की उपेक्षा करते हुए, कंपनी ने नेफेड को 50 किलोग्राम भरती वाली बोरी के 10 लाख बोरियों की पूर्ति हेतु ₹ 43.92 प्रति बोरी की दर से कार्य आदेश दिया (8 अक्टूबर 2012)। इस प्रकार

प्रचलित दर को उपेक्षा करते हुए, उच्च दर पर उसी फर्म को कार्य आदेश देने के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 12.90 लाख[5] अतिरिक्त व्यय हुआ।

हमने यह भी पाया कि मेसर्स के.एल.जूट को ₹ 38.61 प्रति बोरी की दर से 40 किलो के 12.16 लाख बोरे की आपूर्ति का आदेश दिया जाना (18 अक्टूबर 2012) भी उचित नहीं था। चूँकि खरीफ 2012 के लिए उत्पादन कार्यक्रम 16 अप्रैल 2012 को ही अनुमोदित हो चुका था, अतः कंपनी को 40 किलो के बोरे की आवश्यकता का पहले से ही भली-भांति ज्ञात था। इसलिए कंपनी को नाफेड को पुराने दर पर (₹ 37.73 प्रति बोरी) की दर से 40 किलो की जूट की बोरी की आपूर्ति के लिए की गई प्रथम अनुबंध की वैधता अवधि के भीतर (9 अक्टूबर 2012) आदेश दे दिया जाना चाहिए था, जिससे कि मेसर्स के.एल. जूट कोलकाता को उच्च दर पर (₹38.61 प्रति बोरी) आदेश दिए (18 अक्टूबर 2012) जाने से तथा इसके फलस्वरूप ₹ 10.70 लाख[6] का अतिरिक्त व्यय से बचा सकता था। इस प्रकार प्रचलित सहमत दर की उपेक्षा करते हुए उच्च दर पर जूट की बोरियों के क्रय के लिए आदेश दिए जाने से ₹ 23.60 लाख का अतिरिक्त व्यय में परिणामित हुआ।

शासन ने कहा कि (जुलाई 2013) 6 अक्टूबर 2012 को नया अनुबंध होने पर पुराना अनुबंध अस्तित्व से हट चुका था। इस प्रकार, पुरनी दर पर आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं था। यदि कंपनी पुराने अनुबंध के आधार पर आदेश देती तो आपूर्तिकर्ता आदेश पर विवाद करता तथा सामग्री की पूर्ति नहीं करता।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नेफेड तथा मेसर्स के.एल.जूट के साथ नया अनुबंध करते समय (6 अक्टूबर 2012) कंपनी यह भली-भॉति जानती थी कि नई दर पुरानी दर, जो कि 9 अक्टूबर 2012 तक वैध थी, से अधिक थी। इस प्रकार कंपनी को अपने हित को सुरक्षित रखते हुए नेफेड को पुराने अनुबंध की वैधता अवधि के अंदर पुराने दर से आदेश दे दिया जाना चाहिए था तथा उसके बाद नया अनुबंध किया जाना चाहिए था।

कंपनी को अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित रखते हुए सामग्री का क्रय अत्यंत मितव्ययी तरीके से करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम

3.3 दोषपूर्ण कोष प्रबंधन

बचत बैंक खाता में ऑटो-स्वीप सुविधा लेने में विफलता के फलस्वरूप ₹ 18.84 लाख की ब्याज की हानि

छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (कंपनी) का निगमन शारीरिक विकलांग एवं अपंग व्यक्तियों के वित्तीय विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया (19 जुलाई 2004) कंपनी नेशनल हैण्डिकैप्ड फाईनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नई दिल्ली (एनएचएफडीसी) से ऋण प्राप्त करती है तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न स्वरोजगार

[5] 10 लाख बोरी x (₹43.92- ₹42.63)

[6] 12.16 लाख बोरी x(₹ 38.61- ₹37.73)

योजनाओं के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कंपनी अपने दिन प्रतिदिन के लेनदेनों के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ बचत बैंक खाता संधारित करती है। कंपनी के आधिक्य फण्ड को सावधि जमा में निवेश किया जाता है।

रोकड़ पंजी की संवीक्षा (दिसंबर 2012) में पाया गया कि कंपनी के एसबीआई के साथ संधारित खाते में अत्यधिक शेष था। इस खाते में न्यूनतम शेष ₹ 11115 (नवंबर 2009) से ₹ 32475930 (जुलाई 2012) के मध्य था, जिस पर कंपनी ने चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त किया।

हमने पाया कि एसबीआई ने निगमों, संस्थाओं, न्यास एवं लघु व मध्यम उद्योगों के लिए ऑटो-स्वीप सुविधा के साथ 'सुरभी जमा योजना' जारी किया था (अगस्त 2007)। इस योजना के अंतर्गत ग्राहक को ₹ 50,000 का न्यूनतम शेष रखना पड़ता है तथा न्यूनतम शेष से अधिक कोई भी राशि स्वतः साप्ताहिक आधार पर उस अवधि तक के लिए सावधि जमा में परिवर्तित हो जाएगी तब तक ग्राहक फण्ड का उपयोग नहीं करता। ग्राहक अपनी आवश्यकता के समय यदि बचत खाते में पर्याप्त फण्ड न हो तो सावधि जमा स्वतः बंद हो जाएगी (आहरण राशि के आधार पर) तथा ब्याज की गणना कम से कम 15 दिनों की अवधि से लेकर उस अवधि तक की जाएगी जब तक कि राशि खाते में पडी रही। यद्यपि कंपनी ने ऑटो-स्वीप सुविधा नहीं ली और बजाए इसके अत्यधिक शेष को कम ब्याज दर के बचत खाते में रखे रही।

यदि कंपनी ऑटो स्वीप सुविधा लेती तो यह 2009-10 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान ₹ 18.84 लाख के अतिरिक्त ब्याज की हानि हुई, जैसा कि ***अनुलग्नक - 3.4*** में वर्णित है।

प्रबंधन ने कहा कि मई 2013 कंपनी एनएचएफडीसी से प्राप्त फण्ड 90 दिनों के अंदर वितरित करती है तथा इसी कार्य के लिए, फण्ड बचत खाते में रखे गए थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऑटो स्वीप सुविधा का चुनाव कर कंपनी बचत खाते में पड़ी हुई अवितरित राशि पर और अधिक ब्याज प्राप्त कर सकती है तथा इसका हितग्राहियों को 90 दिनो के अंदर भुगतान करने का कोई प्रभाव नहीं पडा होता क्योंकि सावधि जमा की दरें 15 दिनों के बाद किसी भी अवधि के लिए मान्य थी।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2013)।

3.4 विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

प्रस्तावना

3.4.1 छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (कंपनी) का निगमन शारीरिक विकलांग एवं अपंग व्यक्तियों के वित्तीय विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया (19 जुलाई 2004) कंपनी नेशनल हैण्डिकैप्ड फाईनेंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली (एनएचएफडीसी) से ऋण

प्राप्त करती[7] है तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विकलांग व्यक्तियों को एनएचएफडीसी द्वारा अनुमोदित विभिन्न स्वरोजगार योजनाएँ यथा लघु व्यवसाय, कृषि सम्मिलित गतिविधियाँ, वाहन क्रय, स्व-रोजगार, लघु उद्योग तकनीकी शिक्षा/प्रशिक्षण, सूक्ष्म ऋण योजना, मंदबुद्धि व्यक्तियों के पालकों के लिए योजना तथा दक्षता एवं व्यवसायिक विकास के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता के 18 से 60 वर्ष के कोई भी भारतीय नागरिक जो एनएचएफडीसी द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूरा करता है वह वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

ब्याज दर

3.4.2 कंपनी एनएचएफडीसी की ऋण नीति में निर्धारित दर से हितग्राहियों से ब्याज[8] वसूल करती है तथा एनएचएफडीसी को पुनर्भुगतान करती है। ब्याज के अंतर की राशि कंपनी द्वारा प्रशासनिक व्ययों के लिए रखी जाती है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

3.4.3 लेखापरीक्षा यह आंकलन करने की दृष्टि से किया गया कि:

- कंपनी ने लक्षित हितग्राहियों के वित्त पोषण के लिए योजना तैयार की थी;
- पात्र विकलांग व्यक्तियों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी;
- समय पर वसूली तथा चूक के प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए वसूली प्रक्रिया प्रभावी थी; और
- ऋण वितरण के पश्चात योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी का प्रभावी तंत्र था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

कंपनी का प्रदर्शन

3.4.4 कंपनी ने इसकी स्थापना अर्थात जुलाई 2004 से 2012-13 तक राज्य के कुल 170290 पात्र विकलांग व्यक्तियों[9] में से 952 विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की।

वर्ष 2009-13 के दौरान कंपनी ने एनएचएफडीसी से ₹ 8.66 करोड़ प्राप्त किए तथा 457 हितग्राहियों को वितरित किया गया, जैसा कि ***अनुलग्नक - 3.5*** में वर्णित है।

योजना

अल्पकालीन/ दीर्घकालीन योजना का निर्माण नहीं करना

3.4.5 कंपनी का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के द्वारा उनके आर्थिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। सभी पात्र विकलांग व्यक्तियों

---

[7] छत्तीसगढ़ शासन ने एनएचएफडीसी से ऋण प्राप्त करने तथा उसे विकलांग व्यक्तियों को वितरण करने हेतु कंपनी को स्टेट चैनलाईजिंग एजेंसी (एससीए) नामित किया है

[8] (i) ₹ 50,000 तक के ऋण के लिए हितग्राहियों द्वारा कंपनी को पांच प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है तथा कंपनी द्वारा एनएचएफडीसी को दो प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है।
(ii) ₹ 50,000 से ₹ 5.00 लाख तक के ऋण के लिए हितग्राहियों द्वारा कंपनी को छः प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है तथा कंपनी द्वारा एनएचएफडीसी को तीन प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है
(iii) ₹ 5.00 लाख से अधिक के ऋण के लिए हितग्राहियों द्वारा कंपनी को आठ प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है तथा कंपनी द्वारा एनएचएफडीसी को पांच प्रतिशत की दर से किया जाना है।

[9] 2001 के राज्यव्यापी सर्वे के अनुसार 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता के 20 से 59 वर्ष के भारतीय नागरिकों की जनसंख्या

तक कवरेज हेतु योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य तथा इसे प्राप्त करने के माध्यम को दर्शाते हुए दीर्घकालीन अल्पकालीन योजनाओं का निर्माण आवश्यक है।

हमने पाया कि तथापि कंपनी नौ वर्षों से अधिक की अवधि से अस्तित्व में है किंतु इसने लक्षित जनसंख्या को चरणबद्ध तरीके से वित्त पोषण हेतु कोई दीर्घ कालीन/अल्प कालीन योजना नहीं बनाया है, जो कि लक्षित जनसंख्या में कम कवरेज में परिणामित हुआ। कंपनी ने एनएचएफडीसी के दिशानिर्देशों के अनुरूप भी अपनी कोई नीति नहीं बनाई।

ऋण की स्वीकृति

कंपनी ने 2012-13 तक कुल पात्र विकलांग जनसंख्या के 0.56 प्रतिशत को ही वित्तीय सहायता पहुँचाया

3.4.6 कंपनी, अपनी स्थापना से 2012-13 तक केवल 952 विकलांग व्यक्तियों अर्थात राज्य की कुल पात्र विकलांग जनसंख्या का 0.56 प्रतिशत को ही वित्तीय सहायता पहुँचा पायी। जनजातीय एवं दुर्गम स्थलों में विकलांगों का कवरेज अत्यंत कम था। कंपनी ने 2012-13 तक इन क्षेत्रों के 18055 विकलांग व्यक्तियों में से प्राप्त 90 आवेदन से 14 विकलांगों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

जिला	जिले में पात्र विकलांग जनसंख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कमियों/ प्रक्रियाधीन होने के कारण अनुमोदन न हुए आवेदनों की संख्या	विकलांग व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत की संख्या
बस्तर	7373	19	17	2
नारायणपुर		2	0	2
दंतेवाडा	5784	17	14	3
बिजापुर		1	1	0
कांकेर	4898	51	44	7
योग	**18055**	**90**	**76**	**14**

इस प्रकार दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले पात्र विकलांग व्यक्ति वित्तीय सहायता तथा योजनाओं के लाभ से भी वंचित रहे।

प्रबंध ने कहा (मई 2013) कि समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की सहायता से विकलांगों को वित्तीय सहायता पहुँचाई गई।

उत्तर लक्षित जनसंख्या के अत्यंत कम कवरेज के मुख्य मुद्दे को संबोधित नहीं करता।

ऋण स्वीकृति में विलंब

ऋण तीन से 46 महीने के विलंब से स्वीकृत किए गए

3.4.7 2009-10 से 2012-13 तक की अवधि के ऋण स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों की संवीक्षा में हमने पाया कि कंपनी ने जिला कार्यालय एवं मुख्यालय में प्राप्त ऋण आवेदनों की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं किया है। इसके अभाव में स्वीकृत किए गए 457 प्रकरणों में से 220 प्रकरणों की नमूना जाँच में इनकी स्वीकृति के लिए तीन से 46 महीनों का अधिक समय लिया गया। यह भी पाया गया कि जिला कार्यालयों एवं मुख्यालयों में आवेदनों की स्थिति की जानकारी संबंधी कोई रजिस्टर संधारित नहीं किया गया।

हमने यह भी पाया कि कंपनी ने स्क्रीनिंग समिति की बैठकों के आयोजन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं किया है, जो कि मुख्यालय में प्रकरणों की स्वीकृति के लिए उत्तरदायी है। परिणामतः स्क्रीनिंग समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई, जो कि इस तथ्य से सिद्ध होता है कि 1 अप्रेल 2009 से 31 मार्च 2013 की अवधि के दौरान केवल पॉच बैठकें आयोजित की गई, जिनमें कि ऋण स्वीकृति में और भी विलंब हुआ। प्रबंध ने कहा (मई 2013) कि ऋण स्वीकृति का कार्य 'छत्तीसगढ़ लोक सेवा गॉरंटी अधिनियम 2011' के अधीन सम्मिलित किया गया है तथा प्रकरण 90 दिनों की समय सीमा में पूर्ण किए जायेगे जैसा कि इसमें निर्धारित है।

ऋण का वितरण

कंपनी अंश का हितग्राहियों को वितरण न करना

3.4.8 एनएचएफडीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 50,000 से अधिक की परियोजना लागत के प्रकरणों में (शिक्षा ऋण योजना को छोडकर) कंपनी से परियोजना लागत के पाँच प्रतिशत अंशदान ऋण[10] के रूप में दिए जाने की अपेक्षा की जाती है।

हमने पाया कि हितग्राहियों को ऋण राशि वितरित करते समय कंपनी ने केवल एनएचएफडीसी का ही अंश विमुक्त किया तथा सभी प्रकरणों में, जिसमें परियोजना लागत ₹ 50,000 से अधिक है अपना अंश विमुक्त नहीं किया। परिणामस्वरूप हितग्राहियों को उनकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु फण्ड की व्यवस्था उनके स्वयं के स्त्रोत से करनी पड़ी जो कि उनके लिए वित्तीय कठिनाइयों का कारण बना।

प्रबंध ने कहा (मई 2013) कि कंपनी के पाँच प्रतिशत अंशदान के भुगतान का प्रावधान न होने के कारण इसे हितग्राहियों को विमुक्त नहीं किया गया। यद्यपि प्रबंधन ने कहा कि वे मामले को शासन को अवगत करायेंगे।

तथ्य यह रहा कि कंपनी ने अपना अंश वितरित न करते हुए, एनएचएफडीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में विफल रही।

हितग्राहियों को वितरित ऋण का बीमा न करना

3.4.9 कंपनी ने हितग्राहियों को वितरित ऋण का बीमा करवाने का निर्णय लिया (मार्च 2008) ताकि हितग्राहियों की जीवन जोखिमों के विरूद्ध कंपनी का हित सुरक्षित रहे तथा हितग्राहियों की मृत्यु की दशा में अदत्त ऋण राशि का बीमा कंपनी से दावा किया जा सकें।

यद्यपि हमने पाया कि उक्त निर्णय लिये जाने के बावजूद, कंपनी ने 2009-10 से 2012-13 तक की अवधि मे 457 हितग्राहियों को वितरित किए गए ₹ 8.66 करोड़ के लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं ली है।

---

[10] (i) ₹ 50,000 तक की परियोजना लागत में एनएचएफडीसी का अंश 100 प्रतिशत है

(ii) ₹ 50,000 से अधिक तथा ₹ 1.00 लाख तक की परियोजना लागत में एनएचएफडीसी का अंश 95 प्रतिशत है तथा कंपनी का अंश पाँच प्रतिशत है

(iii) ₹ 1.00 से अधिक तथा ₹5.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए एनएचएफडीसी का अंश 90 प्रतिशत, कंपनी का अंश पाँच प्रतिशत तथा हितग्राहियों का अंश प्रतिशत है।

(iv) ₹5.00 लाख से अधिक से की परियोजना लागत के लिए, एनएचएफडीसी का अंश 85 प्रतिशत, कंपनी का अंश पाँच प्रतिशत तथा हितग्राहियों का अंश दस प्रतिशत है।

हमने यह भी पाया कि (मार्च 2013) तक चार हितग्राहियों के विरूद्ध ₹ 2.64 लाख बकाया थे जिनकी मृत्यु 2007 से 2009 के मध्य हुई।

प्रबंधन ने कहा (मई 2013) कि बीमा कंपनियों के साथ प्रीमियम दर का अंतिमीकरण नहीं होने के कारण बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं की जा सकी। प्रबंधन ने यह भी कहा कि एनएचएफडीसी के दिशानिर्देशों (2011) के अनुसार मृत्यु प्रकरण में ऋण राशि को माफ किये जाने का प्रावधान है।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि एनएचएफडीसी की ऋण माफी योजना गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हितग्राहियों को जिन्हें ₹ 1.00 लाख का ऋण दिया गया हो को ही लागू होती है। साथ ही माफी कुछ शर्तों के अधीन जैसे हितग्राही की मृत्यु होने पर इकाई परिचालन बंद हो गया हो, हितग्राहियों के विधिक उत्तराधिकारी व्यवसाय जारी रखने या बकाया ऋण चुकाने की स्थिति में न होना शामिल है।

ऋण की वसूली एवं निगरानी

वसूली की धीमी गति होने के कारण ₹ 4.27 करोड़ का अत्यधिक बकाया होना।

3.4.10 कंपनी हितग्राहियों को तीन माह के ऋणस्थगन अवधि को छोड़कर तीन से सात वर्षों के पुनर्भुगतान अवधि के लिए ऋण स्वीकृत एवं वितरित करती है। पाँच लाख[11] तक के ऋण के लिए कोई बंधक नहीं लिया जाता है जबकि पाँच लाख से अधिक है ऋण के लिए ऋण राशि से क्रय की गई संपत्ति को कंपनी के नाम से बंधक रखा जाता है। मूलधन तथा ब्याज समान मासिक किश्तों में वसूला जाता है।

हमने पाया कि ऋण की वसूली के लिए कंपनी ने न ही कोई नीति निर्धारित की है न ही कोई उचित प्रणाली विकसित किया है। हितग्राहियों द्वारा वसूली नकद/चेक/पश्चदिनांकित चेक के माध्यम से की जा रही है। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए अंतिम चार वर्षों में ऋण की वसूली अत्यंत कम थी तथा वसूली का प्रतिशत 40.53 तथा 42.48 के मध्य था। कम वसूली के कारण 2009-10 में बकाया राशि ₹ 1.12 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 4.27 करोड़ हो गई जैसा कि नीचे दर्शाया गया:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में देय राशि			हितग्राहियों द्वारा भुगतान की गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया राशि	वसूली का प्रतिशत
	मूलधन	ब्याज	वर्ष के अंत में कुल प्राप्त राशि			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
2009-10	1.33	0.56	1.89	0.77	1.12	40.74
2010-11	2.16	0.77	2.93	1.19	1.74	40.61
2011-12	3.41	1.11	4.52	1.92	2.60	42.48
2012-13	6.20	0.98	7.18	2.91	4.27	40.53

हमने यह भी पाया कि 229 हितग्राही जिन्हें 2005 एवं 2012 के मध्य ₹ 3.95 करोड़ का ऋण वितरित हुआ था, उन्होने कोई भी किश्त अभी तक (दिसंबर 2013) जमा नहीं किए हैं इन 229 हितग्राहियों का वर्षवार विवरण आगे दर्शाया गया है:

[11] 31 मार्च 2012 तक रूपये तीन लाख

वर्ष	हितग्राहियों की संख्या	ऋण राशि (₹)
2005-06	5	270000
2006-07	7	347000
2007-08	27	1424600
2008-09	8	982000
2009-10	33	3001050
2010-11	11	108977
2011-12	71	16746665
2012-13	67	15618049
योग	**229**	**39479341**

चूँकि कंपनी ने किश्त न चुकाने वाले हितग्राहियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा ऐसे प्रकरणों को भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली हेतु राजस्व विभाग को सौंपे जाने का निर्णय लिया (12 जुलाई 2010) किंतु अभी तक (मार्च 2013) कोई भी प्रकरण राजस्व विभाग को नहीं सौंपा गया है। कंपनी ने ऋण को निष्पादित संपत्तियाँ तथा गैर निष्पादित संपत्तियों के वर्गीकरण हेतु कोई मापदण्ड भी निर्धारित नहीं किया है।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2013) कि ऋण की वसूली के लिए प्रक्रिया बनाई जाएगी तथा बकाया राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। प्रबंधन ने यह भी कहा (मई 2013) कि वसूली बढ़ाने के लिए जिला प्रबंधक को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

तथ्य यह रहा कि ऋण की वसूली के उचित प्रणाली के अभाव में तथा किश्त जमा न करने वाले हितग्राहियों के विरूद्ध कार्यवाही करने में विफल रहने के कारण वसूली का प्रतिशत बहुत कम था, जो 43 प्रतिशत से नीचे बना हुआ था।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में कमी।

3.4.11 एन एच एफ डी सी के दिशा निर्देशों के अनुसार, यह कंपनी की जिम्मेदारी है कि हितग्राहियों को वितरित किया गया ऋण उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया, जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया। साथ ही, कंपनी ऐसी परियोजनाएँ जिनके लिए हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत किया गया, के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

यद्यपि हमने पाया कि कंपनी ने परियाजनाओं की निगरानी के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाया और हितग्राहियों द्वारा ऋण राशि से क्रय की गई संपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया। परिणामस्वरूप, कंपनी यह सुनिश्चित करने की स्थिती में नहीं है कि हितग्राहियों द्वारा ऋण राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया, जिसके लिए स्वीकृति मिली थी या परियोजनाएँ कार्यरत दशा में है या बंद है या हितग्राही के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा चलायी जा रही हैं। प्रबंधन ने कहा (मई 2013) कि संपत्तियों का भौतिक सत्यापन तथा परियोजनाओं की निगरानी जिला प्रबंधक द्वारा की जाती है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि प्रबंधन अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा।

अपात्र हितग्राहियों के लिए ₹ 28.79 लाख की सब्सिडी का आहरण

3.4.12. समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदित 'उत्थान सब्सिडी योजना' जिसके तहत ऐसे हितग्राहियों को, जो कम से कम तीन वर्षों से सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय चला रहे हो तथा बिना किसी चूक के अंतिम तीन वर्षों के दौरान अपनी मासिक किश्त देय तिथि पर पुनर्भुगतान किया हो, को बकाया ऋण राशि के 50 प्रतिशत के बराबर सब्सिडी दिया जाता है ।

इस प्रकार कंपनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान इस योजना के अधीन 84 हितग्राहियों को चिन्हित किया तथा शासन को ₹ 14.83 लाख की सब्सिडी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जनवरी 2010), जो कि शासन द्वारा मार्च 2010 में विमुक्त किया गया। इसी तरह कंपनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान 55 हितग्राहियों को चिन्हित किया तथा शासन को ₹ 15.20 लाख सब्सिडी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जनवरी 2011 इस प्रकार शासन ने ₹ 15.00 लाख नवबंर 2011 में विमुक्त किया ।

हमने पाया कि इस योजना के अधीन वर्ष 2009-11 के लिए शासन को सब्सिडी दावा करते समय कंपनी ने उन हितग्राहियों का भी चयन किया जो इस योजना के अधीन पात्र नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देय तिथि में किश्त जमा नहीं किया तथा कुछ प्रकरणों में हितग्राहियों को वितरित ऋण की अवधि तीन वर्ष से कम थी। परिणामस्वरूप कंपनी ने 131 हितग्राहियों के नाम से ₹ 28.79 लाख की अधिक सब्सिडी आहरित की, जो कि अभी तक हितग्राहियों को वितरित नहीं किया गया है। शासन से प्राप्त आठ पात्र हितग्राहियों की ₹ 1.04 लाख की सब्सिडी भी अभी तक (मार्च 2013) वितरित नहीं की गई।

इस प्रकार, अपात्र हितग्राहियों के सब्सिडी का आहरण तथा शासन से प्राप्त सब्सिडी को पात्र हितग्राहियों को वितरित न करना नियम विरूद्ध है।

प्रबंधन ने कहा (मई 2013) कि योजना के मापदंड के अनुसार हितग्राहियों का चयन जिला स्तर पर किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि उत्थान सब्सिडी योजना के अधीन चयनित 139 हितग्राहियों में से 131 हितग्राही पात्रता मापदण्ड को पूरा नहीं करते थे।

निष्कर्ष

कंपनी ने विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई दीर्घकालीन/अल्पकालीन योजना तैयार नहीं की है। विकलांग व्यक्तियों का कवरेज अत्यंत कम था, क्योंकि 2012-13 तक कंपनी ने राज्य की कुल 170290 पात्र विकलांग जनसंख्या में से केवल 952 विकलांग व्यक्तियों को ही वित्तीय सहायता प्रदान कर सका। ऋणों की स्वीकृति के लिए कंपनी ने 3 से 46 महीनों का अत्यधिक विलंब किया। कंपनी ने हितग्राहियों को वितरित ऋण का बीमा नहीं करवाया। कंपनी ने हितग्राहियों से ऋण की वसूली के लिए उचित एवं प्रभावकारी प्रणाली विकसित नहीं किया फलस्वरूप 31 मार्च 2013 ₹ 4.27 करोड़ की बकाया राशि वसूली योग्य थी तथा 31 मार्च 2013 की समाप्ति पर अंतिम चार वर्षों में वसूली का प्रतिशत 43 से नीचे बना हुआ था। परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु कोई प्रणाली नहीं

थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2013)।

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड

3.5 गोदाम टूटफूट पर उत्पाद शुल्क की वसूली न होना

उत्पाद शुल्क के ₹ 2.97 करोड़ को आपूर्तिकर्ताओं से वसूलने तथा उत्पाद शुल्क विभाग में जमा करने में कंपनी की असफलता के परिणामतः आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ का विस्तारण तथा राज्य को राजस्व की हानि

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 (विदेशी मदिरा नियम) के अंतर्गत एफ एल 10 लाइसेंस[12] प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड, रायपुर (कंपनी) राज्य में इण्डियन मेड फारेन लिकर (आई.एम.एफ.एल) की आपूर्ति, भण्डारण एवं विक्रय हेतु एकमात्र लाइसेंस-धारी थोक विक्रय एजेन्ट के रूप में कार्यरत है। कंपनी के पास रायपुर तथा बिलासपुर में स्थापित (नवंबर 2001) दो गोदाम हैं। कंपनी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आधार मूल्य[13] पर कंपनी को आई.एम.एफ.एल. की आपूर्ति हेतु पंजीयन के लिए आई.एम.एफ.एल. के आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माणकर्ताओं से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है। आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कंपनी द्वारा आधार मूल्य का अनुमोदन किया जाता है। कंपनी द्वारा पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से विभिन्न ब्राण्ड के आई.एम.एफ.एल. की आपूर्ति आधार मूल्य पर प्राप्त करने, उन्हे अपने गोदामों में भण्डारित करने तथा अपना मार्जिन जोड़ने के बाद इसे फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने के लिए राज्य उत्पाद शुल्क विभाग (विभाग) का परमिट कंपनी के पास है। कंपनी एवं आपूर्तिकर्ताओं के मध्य अंतिमीकृत अनुबंध के प्रावधान 2.2 के अनुसार आपूर्ति किए गए आई.एम.एफ.एल. हेतु आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कंपनी द्वारा फुटकर विक्रेताओं को स्टॉक के विक्रय होने पर ही किया जाएगा। अनुबंध का प्रावधान 2.4 भी प्रावधान करता है कि कंपनी द्वारा फुटकर विक्रेताओ को विक्रय किए जाने तक स्टॉक को संपादित और उसका जोखिम आपूर्तिकर्ता द्वारा वहनीय होगा जो स्टॉक में समस्त हानियों को वहन करेगा। वित्तीय वर्ष के अंत में गोदाम में पड़े गैर बिक्रीत अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन तत्कालीन आधार मूल्य पर किया जाता है तथा उसे कंपनी के वार्षिक लेखो में अंतिम स्कंध के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 17(2) के अनुसार एफ एल 10 लाइसेंसधारी को बोतलों में भरी विदेशी मदिरा के भंडारण पर छीजन की कोई छूट अनुज्ञेय नहीं है। गोदाम में टूटफूट की दशा में एफ एल 10 लाइसेंसधारी को ऐसी टूटफूट की मात्रा पर विहित दर से शुल्क का भुगतान करना होगा।

गोदाम टूटफूट से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा (जनवरी 2013) से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान 132448.25 प्रूफ लीटर

[12] डिस्टिलरी द्वारा विर्निमित आईएमएफएल के पंजीकृत ब्राण्डों को फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने हेतु थोक विक्रय लायसेंस

[13] वह मूल्य जिस पर कंपनी अपने गोदाम पर आईएमएफएल का स्टॉक प्राप्त करती है

स्पिरिट तथा 140253.9 बल्क लीटर माल्ट का लेखाकरण टूटफूट के अंतर्गत रायपुर गोदाम में किया गया। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान 122004.4 प्रूफ लीटर स्पिरिट तथा 253927.5 बल्क लीटर माल्ट का लेखाकरण बिलासपुर गोदाम हेतु टूटफूट के अंतर्गत किया गया। विदेशी मदिरा नियम के नियम 17(2) तथा आपूर्तिकर्ता के साथ निष्पादित अनुबंध के प्रावधान 2.4 के अनुसार कंपनी द्वारा उपरोक्त गोदाम टूटफूट की मात्रा पर ₹ 2.97 करोड़ का उत्पाद शुल्क आपूर्तिकर्ता से वसूल करने तथा उसे राज्य उत्पाद शुल्क विभाग में जमा किए जाने की आवश्यकता थी जैसा कि ***अनुलग्नक - 3.6*** में वर्णित किया गया है। यद्यपि हमने देखा कि कंपनी ने आपूर्तिकर्ताओं से उत्पाद शुल्क के ₹ 2.97 करोड़ वसूल नही किए तथा उसे राज्य उत्पाद शुल्क विभाग में जमा भी नही किया गया। जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ का विस्तारण तथा राज्य को ₹ 2.97 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (जून 2013) कि अनुबंध के प्रावधान 2.4 के अनुसार कंपनी द्वारा स्टॉक के पुनर्विक्रय किए जाने तक समस्त हानियों के लिए आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी होगा परंतु अनुबंध में कहीं भी यह उल्लेखित नहीं था कि आपूर्तिकर्ता गोदाम हानि की मात्रा पर उत्पाद शुल्क के भुगतान करने हेतु जिम्मेदार होगा। प्रबंधन ने यह भी कहा कि विदेशी मदिरा निगम का नियम 17(2) केवल छीजन के बारे में कहता है अर्थात लीकेज तथा वाष्पीकरण से हुई हानियों तथा यह गोदाम हानि/कमी से हुई हानियों के बारे में नहीं कहता है। चूंकि उक्त प्रकरण गोदाम हानि से संबंधित था अतएव नियम 17(2) इसमें लागू नही होगा। प्रबंधन ने आगे कहा कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बनाम गप्पूलाल, राजस्थान राज्य बनाम पन्नालाल तथा निर्मल चंद्र बैनर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामलों में दिये गये निर्णयों के अनुसार लाइसेंसधारक द्वारा नहीं उठायी गयी/निकाली गई मदिरा की मात्रा पर उत्पाद शुल्क वापसी योग्य नहीं है। शासन ने भी प्रबंधन के दृष्टिकोणों को ही अनुसमर्थित किया (अगस्त 2013)।

उत्तर स्वीकार योग्य नही है क्योंकि-

- अनुबंध के प्रावधान 2.4 के अनुसार कंपनी द्वारा स्टॉक के पुनर्विक्रय किए जाने तक समस्त हानियों के लिए आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी होगा अतएव इससे स्वमेव सिद्ध होता है कि इस प्रकार की हानियों पर देय किसी भी कर को केवल आपूर्तिकर्ता द्वारा ही वहन किया जाएगा।
- छीजन अर्थात हानि जिसमें गोदाम हानि शामिल है जैसा कि प्रबंधन ने आयुक्त (उत्पाद शुल्क) छत्तीसगढ़ शासन को लिखे अपने पत्र में उल्लेखित किया है (10 दिसंबर 2010)। इस पत्र में प्रबंधन ने आयुक्त से विदेशी मदिरा नियम में संशोधन करते हुए भण्डारण हानि/गोदाम हानि के लिए अनुमत्य सीमा निर्धारित करने का निवेदन किया क्योंकि यह गोदामों में आई.एम.एफ.एल. को उठाने की सामान्य प्रक्रिया में छीजन के रूप में होने वाली भण्डारण हानि हेतु किसी भी हानि की अनुमति नहीं देता।
- कंपनी द्वारा उद्धृत न्यायिक प्रकरणों का संबंध मदिरा ठेकेदारों (फुटकर विक्रेताओं) द्वारा किसी माह में निर्धारित मासिक मात्रा के नहीं उठायी/नहीं निकाली गई मात्रा पर उत्पाद शुल्क के संग्रहण से है जबकि उक्त मामला एफ एल -10 लाइसेंसधारक द्वारा प्रतिवेदित गोदाम हानि पर उत्पाद शुल्क के संग्रहण से संबंधित है। इस प्रकार

एफ एल-10 लाइसेंस धारक द्वारा गोदाम हानि पर उत्पाद शुल्क का संग्रह से फुटकर विक्रेताओं द्वारा न उठायी गयी मात्रा पर उत्पाद शुल्क का संग्रह पूर्णरूपेण अलग है।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

3.6 अनुचित लाभ दिया जाना

दाण्डिक ब्याज की वसूली न करने के कारण आबंटिती को ₹ 32.40 लाख का अनुचित लाभ दिया जाना।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, रायपुर (कंपनी) सड़क, पानी, विद्युत इत्यादि सामान्य सुविधाओं के साथ औद्योगिक विकास केन्द्रों/क्षेत्रों का विकास एवं संधारण करती है तथा संभावित औद्योगिक ईकाईयों/उद्यमियों को भूमि आबंटित करती है। कंपनी द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित भूमि के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित भू-प्रब्याजी (भूमि की लागत हेतु एक अनुमानित राशि) के साथ-साथ उद्यमियों से वार्षिक पट्टा किराया तथा वार्षिक संधारण शुल्क लिया जाता है। कंपनी द्वारा उद्यमियों से भूमि के आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त किए जाते है। यदि भूमि उपलब्ध हो तथा आवेदन उपयुक्त पाए जाते हैं तो कंपनी द्वारा 10 प्रतिशत अग्रिम प्रब्याजी (कुल देय प्रब्याजी का 10 प्रतिशत) लेने के पश्चात आबंटन की शर्तों तथा कुल भुगतान की जाने वाली राशि को प्रदर्शित करते हुए मांग पत्र (एलओआई) जारी किया जाता है। मांग पत्र की राशि प्राप्त होने पर भूमि आबंटन आदेश जारी किया जाता है। महासमुंद जिले में कंपनी के बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र में एक बीयर विनिर्माण इकाई लगाने के लिए 25 एकड भूमि हेतु सोना बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड(एसबीपीएल) द्वारा आवेदन किया गया (अक्टूबर 2009)। कंपनी द्वारा अग्रिम प्रब्याजी के रूप में ₹ 5.83 लाख[14] प्राप्त करने (19 फरवरी 2010) के पश्चात् 12 एकड़ भूमि के आबंटन हेतु मांग पत्र जारी किया गया (6 मई 2010)। तत्पश्चात् एसबीपीएल द्वारा बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र, दुर्ग में 25 एकड़ भूमि के आबंटन हेतु नया आवेदन जमा किया गया (18 अगस्त 2010) तथा कंपनी से बिरकोनी औद्योगिक केन्द्र की भूमि हेतु भुगतान किए गए ₹ 5.83 लाख के अग्रिम की राशि को समायोजित करने हेतु निवेदन किया गया (25 अगस्त 2010)। तदानुसार कंपनी द्वारा 25 एकड़ भूमि के आबंटन हेतु संशोधित मांगपत्र जारी किया गया (8 अकटूबर 2010) तथा एसबीपीएल को ₹ 9.02 करोड[15] की शेष राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया। यद्यपि एसबीपीएल ने कंपनी को 25 एकड़ के स्थान पर 9.63 एकड़ भूमि के आबंटन हेतु निवेदन किया था (12 अक्टूबर 2010)। उत्तर में कंपनी ने ₹ 3.5 करोड़ के लिए 9.63 एकड़ भूमि के आबंटन हेतु पुनः संशोधित मांगपत्र जारी किया (14 अक्टूबर 2010) परंतु एसबीपीएल द्वारा राशि नही जमा की गई तथा उक्त भूमि के विषय में मिट्टी परीक्षण कार्य जारी होने के कारण एक माह का समय और मांगा गया (26 नवंबर 2010)। कंपनी द्वारा एसबीपीएल का निवेदन मांग पत्र के

[14] कुल लागत ₹ 58.28 लाख का दस प्रतिशत

[15] बोरई स्थित भूमि हेतु ₹ 9.08 करोड़-बिरकोनी स्थित भूमि हेतु पहले से ही भुगतान किया गया अग्रिम ₹ 0.06 करोड़

प्रावधान 5[16] के अनुसार दाण्डिक ब्याज के भुगतान की शर्त के साथ स्वीकार किया गया (9 दिसंबर 2010) एसबीपीएल द्वारा ₹ 5.83 लाख समायोजित करने पश्चात ₹ 3.44 करोड़ जमा किया गया (23 अप्रैल 2011) यद्यपि एसबीपीएल द्वारा दाण्डिक ब्याज का ₹ 32.40 लाख[17] जमा नहीं किया गया तथा कंपनी से भूमि के उच्च मूल्य पर विचार करते हुए इस दाण्डिक ब्याज को छोड़ने हेतु निवेदन किया गया (23 अप्रैल 2011)। भूमि आबंटन आदेश 13 मई 2011 को जारी किया गया।

एसबीपीएल के निवेदन पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बोरई औद्योगिक क्षेत्र के दूसरे भागों से एसबीपीएल को फूड पार्क में आबंटित भूमि के मूल्य को अधिक मानते हुए ₹ 32.40 लाख के दाण्डिक ब्याज को माफ करने हेतु एक प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया (13 जुलाई 2011)। दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी बोर्ड द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया और कंपनी द्वारा एसबीपीएल से भी दाण्डिक ब्याज का ₹ 32.40 करोड़ अब तक वसूल नहीं किया गया (जुलाई 2013)।

हमने देखा कि भूमि के उच्च मूल्य के आधार पर कंपनी द्वारा ₹ 3.44 करोड़ के विलंब से किए गए भुगतान पर ₹ 32.40 करोड़ के दाण्डिक ब्याज को माफ किया जाना न्यायपूर्ण नहीं था तथा जैसा कि भूमि का मूल्य बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित था (सितंबर 2010) और इससे एसबीपीएल भी पूर्णतः भिज्ञ था अतएव यह एसबीपीएल को इस राशि से अनुचित लाभ दिया गया। इस प्रकार मांगपत्र की धारा 5 के अनुसार एसबीपीएल को विलंब अवधि हेतु दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना था जो कि कंपनी के 9 दिसंबर 2010 को लिखे पत्र में भी उल्लेखित किया गया था

प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2012) कि कंपनी के बोर्ड द्वारा दाण्डिक ब्याज की वसूली करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

उत्तर सुनिश्चित करता है कि यद्यपि बोर्ड को कंपनी के हित में मांगपत्र के नियम व शर्तों के अनुसार निर्णय लेना है तथापि बोर्ड ने दो वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया। कंपनी ने एसबीपीएल से ₹ 32.40 लाख वसूल करने के स्थान पर इस मामले को दो वर्षों से भी ज्यादा समय तक लंबित रखा जो एसबीपीएल को ₹ 32.40 लाख का अनुचित लाभ दिए जाने के समान है।

कंपनी को एसबीपीएल से ₹ 32.40 लाख अतिशीघ्र वसूल करना चाहिए।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2013)।

[16] यदि आवेदक 45 दिनों की निर्धारित अवधी के अंदर आवश्यक राशि जमा करने में असफल रहता है तो आवेदक को समय बढ़ाने हेतु आवेदन करना होगा तथा यदि कंपनी आवेदन स्वीकार कर लेती है तो उसे लंबित अवधि हेतु 18 प्रतिशत वर्षिक की दर से ब्याज देना पड़ेगा

[17] ₹ 3.44 करोड़ x 18 प्रतिशत x 191 दिन (08/10/2010 से 23/04/2011)/365 दिन

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

3.7 राजस्व की हानि

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अनुबंध भार में कमी के परिणामतः ₹ 36.68 लाख के राजस्व की हानि

छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत का वितरण एवं आपूर्ति समय-समय पर संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 (आपूर्ति संहिता) द्वारा अधिशासित किया जाता है। आपूर्ति संहिता 2005 की धारा 7.9 के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के अंदर अनुबंध मांग/कनेक्टेड भार में कमी हेतु किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। संशोधित आपूर्ति संहिता 2011 में धारा 7.9 को सुधारा गया (नवंबर 2011) जो यह प्रावधानित करता है कि लाइसेंसधारी द्वारा अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के अंदर अनुबंध मांग/कनेक्टेड भार में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी हेतु आवेदन फार्म पर विचार नही किया जाएगा। आपूर्ति संहिता 2011 की धारा 2.1 के अनुसार अनुबंध की प्रारंभिक अवधि से आशय अनुबंध प्रारंभ होने को तिथि से प्रारंभ के दो वर्ष से है। अनुबंध की प्रारंभिक अवधि की वैधता दो वर्ष की अवधि खत्म होने की तिथि के माह के अंतिम दिन तक रहेगी।

पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (कंपनी) द्वारा मेसर्स बृहस्पति आयरन एण्ड स्टील कंपनी (पी) लिमिटेड, रायपुर को 4160 केव्हीए अनुबंध मांग[18] (सीडी) का उच्च दाब कनेक्शन प्रदान किया गया (सितंबर 2007)। उपभोक्ता के निवेदन (सितंबर 2009) के आधार पर सीडी को 4160 केव्हीए से बढ़ाकर 10,000 केव्हीए किया गया जो उपभोक्ता के साथ इस संबंध में एक नए अनुबंध के अंतिमीकरण के पश्चात् 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील हुआ। नए अनुबंध की धारा 4 एवं 9 प्रावधानित करती है कि सभी पक्षकार विद्युत अधिनियम, 2003 के संबंधित प्रावधानों तथा आपूर्ति संहिता सहित उसके अंतर्गत निर्मित सभी नियमों का अनुपालन करने हेतु बाध्य होंगें। इस अनुबंध के अंतर्गत, विद्युत की आपूर्ति एवं उपभोग समय-समय पर संशोधित आपूर्ति संहिता के विभिन्न प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन किया जाएगा। नए अनुबंध की विशेष धारा 27(1) के अनुसार 4160 कव्हीए के कुल सीडी के विद्युत की आपूर्ति हेतु उपभोक्ता के साथ किए गए वर्तमान अनुंबध (सितंबर 2007) को इस अनुबंध के प्रभावशील होने के तिथि से समाप्त माना जाएगा। तदोपरांत उपभोक्ता के निवेदन (नवंबर 2011) पर कंपनी द्वारा 1 जनवरी 2012 से प्रभावशील करते हुए 10,000 केव्हीए सीडी को घटाकार 60 केव्हीए किया गया।

हमने पाया कि आपूर्ति संहिता 2011 की धारा 2.1 के प्रावधान के अनुसार नवीन अनुबंध की दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि 31 मार्च 2012 को खत्म होने वाली थी। प्रारंभिक अवधि के इन दो वर्षो में वर्तमान सीडी में 50 प्रतिशत की कमी अर्थात 5000 के व्ही ए अनुमत्य थी। यद्यपि कंपनी द्वारा उपभोक्ता के सीडी में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा की कमी की अर्थात् आपूर्ति कोड 2011 के प्रावधानों धारा (7.9) का उल्लंघन

[18] केडब्ल्यू, केव्हीए अथवा एचपी में अधिकतम लोड, जैसा प्रकरण हो, अनुबंध में उल्लिखित, उपभोक्ता द्वारा अनुबंधित तथा लायसेंसी द्वारा आपूर्ति किये जाने की सहमति दी जाती है।

करते हुए 10000 केव्हीए से 60 केव्हीए तक सीडी को 1 जनवरी 2012 से प्रभावशील करते हुए कम किया।

इस प्रकार आपूर्ति संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सीडी में कमी करने के परिणामस्वरूप कंपनी को 1 जनवरी 2012 से 31 मार्च 2012 की अवधि के लिए न्यूनतम मांग शुल्क के रूप में ₹ 36.68 लाख[19] के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (मई 2013) कि उपभोक्ता ने 28 नवंबर 2007 से विद्युत ऊर्जा का उपभोग करना प्रारंभ किया तथा इस प्रकार अनुबंध की प्रारंभिक अवधि 30 नवंबर 2009 को समाप्त होनी थी। तदोपरांत आपूर्ति संहिता 2005 की धारा 7.17 के अनुपालन में सीडी को 4160 केव्हीए से 10000 केव्हीए बढ़ाने के उद्देश्य से एक पूरक अनुबंध 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील करते हुए उपभोक्ता के साथ अनुबंधित किया गया जो प्रावधानित करता हैं कि यदि उपभोक्ता एवं लाइसेंसधारक के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध में किसी सुधार/संशोधन की आवश्यकता होती है तो पूरक अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। इस प्रकार उपभोक्ता से किया गया 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील पूरक अनुबंध सभी उद्देश्यों के लिए था और यह कोई नया अनुबंध नहीं था। अतः आपूर्ति संहिता के अनुबंध की प्रारंभिक अवधि में सीडी में कमी करने में प्रतिबंध संबंधी प्रावधान इस पूरक अनुबंध पर लागू नहीं होते।

उत्तर स्वीकार योग्य नही है क्योंकि आपूर्ति संहिता 2005 की धारा 7.17 के अनुसार वर्तमान अनुबंध में सुधार/संशोधन पूरक अनुबंध द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार आपूर्ति संहिता के अनुसार पूरक अनुबंध अनिवार्य नहीं है बल्कि यह एक विकल्प मात्र है और इस विकल्प को अनुबंध करने वाले पक्षकारों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। कंपनी द्वारा सीडी को 10000 केव्हीए तक बढ़ाने के उद्देश्य से उपभोक्ता के साथ नवीन अनुबंध किया गया न कि पूरक अनुबंध उपरोक्त तथ्य नवीन अनुबंध की विशेष धारा 27(i) से भी स्पष्ट होता है जो यह प्रावधानित करता है कि इस अनुबंध के प्रभावशील होने की तिथि से उपभोक्ता के साथ 4160 केव्हीए के कुल सीडी के विद्युत की आपूर्ति हेतु निष्पादित (सितंबर 2007) वर्तमान अनुबंध समाप्त माना जाएगा। यह ध्यातव्य है कि पूरक अनुबंध के मामले में वर्तमान और पूरक दोनो अनुबंध सहगामी प्रभावी रहते है। यद्यपि इस विशेष प्रकरण में नवीन अनुबंध की धारा 27(i) के अनुसार 1 जनवरी 2010 से प्रभावशील नवीन अनुबंध के निष्पादित होने के पश्चात् मूल अनुबंध की वैधता समाप्त हो जाएगी (सितंबर 2007)। कंपनी को अनुबंध मांग में कमी की अनुमति देते समय "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता" के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन करना चाहिए।

सीडी में कमी करते समय कंपनी को "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता" के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन करना चाहिए।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2013) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2013)।

[19] सीडी में अनुमत्य कमी अर्थात 10,000 केवीए का पचास प्रतिशत 5,000 केवीए - 60 केवीए= 4940 केवीए x 75 प्रतिशत (वास्तविक मांग के आधार पर की गई बिलिंग अथवा सीडी का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो) x ₹ 330 प्रति केवीए (तत्कालीन प्रशुल्क के आधार पर मांग शुल्क प्रति केवीए प्रतिमाह) x 3 माह (जनवरी 2012 से मार्च 2012) = ₹ 3667950

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड

3.8 परिहार्य व्यय

केटीपीएस के पावर हाऊस-II में ड्युअल फ्लू गैस कंडीशनिंग सिस्टम के प्रचालन तथा मरम्मत की आउटसोर्सिंग करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ का परिहार्य व्यय

कोरबा ताप विद्युत केन्द्र के पावर हाउस-II में गमन द्रव गैसों के स्टेक इमिशन[20] को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निर्धारित मानक के स्तर तक कम करने के क्रम में पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल {अब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (कंपनी)} ने एक ड्युअल फ्लू गैस कंडीशनिंग सिस्टम (डीएफजीसी) की स्थापना की। डीएफजीसी को एक निजी कंपनी मेसर्स केमिथान इंजीनियर्स (प्रा.) लिमिटेड, मुंबई (केमिथान) द्वारा परिकल्पित, उत्थापित तथा कमीशन (1 फरवारी 2006) किया गया था। कार्यआदेश (13 अक्टूबर 2006) के अनुसार डीएफजीसी का प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एण्ड एम) कमीशनिंग की तिथि से प्रारम्भिक एक वर्ष तक केमिथान द्वारा किया जाना था। कार्य आदेश[21] में यह भी प्रावधान था कि केमिथान डीएफजी के ओ एण्ड एम के लिए कंपनी के कार्मिकों को बिना किसी मूल्य के प्रशिक्षित करेगा। डीएफजीसी का प्रारम्भिक एक वर्ष का ओ एण्ड एम केमिथान द्वारा जनवरी 2009 को पूरा होना था यद्यपि, कंपनी ने यह कहते (फरवरी 2009) हुए कि केटीपीएस में कर्मियों की अत्यंत कमी है, श्रमशक्ति को प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाया और नतीजतन इसे डीएफजीसी का ओ एण्ड एम केमिथान को (फरवरी 2009) से लगातार वार्षिक संविदा के आधार पर कुल खर्च ₹ 2.23 करोड़ (जनवरी 2013 तक) में आउटसोर्स करना पड़ा।

हमने पाया कि (जनवरी 2012) कंपनी यह जानती थी कि डीएफजीसी एक महत्वपूर्ण पर्यावरण सूरक्षा उपकरण है जो केटीपीएस के पावर हाऊस- II के संचालन के समानांतर संचालन हेतु आवश्यक है। तदानुसार डीएफजीसी की कमिशनिग से प्रारम्भिक एक वर्ष का ओ एण्ड एम का कार्य केमिथान को इस दृष्टिकोण से दिया गया कि वह कंपनी के कार्मिकों को प्रशिक्षित करेगा ताकि आगामी वर्षों में बिना किसी अतिरिक्त व्यय के विभागीय स्तर पर ओ एण्ड एम कार्य किया जा सके। उपरोक्त की बजाय यह जानते हुए भी कि ओ एण्ड एम हेतु केवल चार प्लाण्ट अटेन्डेंट ग्रेड II (पी ए II)तथा चार कनिष्ठ अभियंताओं (जे.ई.) की आवश्यकता थी, कंपनी ने आवश्यक जनशक्ति कि नियुक्ति तथा उन्हे डीएफजीसी के ओ एण्ड एम हेतु प्रशिक्षण हेतु ओ एण्ड एम संविदा के प्रारंभिक एक वर्ष (फरवरी 2008 से जनवरी 2009) के दौरान कोई प्रयास नहीं किया। हमने आगे यह पाया कि कंपनी के बाद में 2009-10 तथा 2011-12 के मध्य 14 पी.ए.- II तथा 257 जे.ई. की नियुक्ति की परंतु उन्हे डीएफजीसी के ओ एण्ड एम

---

[20] स्टेक विमनों का एक प्रकार है, जिसके द्वारा उत्पादित दहनशील गैसों जो फ्लू गैस कहलाती हैं को बाहर हवा में छोड़ा जाता हैं। फ्लू गैसें तब बनती हैं, जब एक पावर प्लाण्ट के भाप पैदा करने वाले बॉयलर में कोयला, तेल प्राकृतिक गैस या अन्य किसी ईंधन का दहन होता हैं। फ्लू गैस सामान्यतः कार्बन डाय ऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के आधिक्य और कम प्रतिशत वाले प्रदूषकों जैसे छोड़े गये द्रव्यांशों कार्बन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का मिश्रण है। इन प्रदूषकों के नियंत्रण हेतु ड्यूल फ्लू गैस कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग होता है जो कि हवा में प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करता है।

[21] वाक्य 3.14.00- कार्य की समाप्ति पर तथा सिस्टम को दिये जाने के पूर्व ठेकेदार उनके द्वारा स्थापित सिस्टम को ओ एण्ड एम का प्रशिक्षण कंपनी के कार्मिकों को बिना किसी मूल्य के प्रदान करेगा।

कार्य हेतु प्रतिनियुक्त नही किया। इस प्रकार कंपनी को 14 पी.ए- II तथा 257 जे.ई. की नियुक्ति करने के बाद भी ओ एण्ड एम कार्य आउटसोर्स करते रहना पड़ा। यदि ओ एण्ड एम कंपनी द्वारा विभागीय स्तर पर किया जाता तो चार वर्षों की अवधि (फरवरी 2009 से जनवरी 2013 तक) में ₹ 1.08 करोड़[22] बचाया जा सकता था, क्योंकि डीएफजीसी के ओ एण्ड एम को विभागीय स्तर पर किये जाने की लागत आउटसोर्सिंग पर किये गये खर्च ₹ 55.79 लाख[23] प्रति वर्ष की तुलना में मात्र ₹ 28.84 लाख[24] होती। यह अतिरिक्त व्यय आगे और बढ़ेगा क्योंकि यह अनवरत कार्य है तथा कंपनी ने कार्मिकों को डीएफजीसी के ओ एण्ड एम हेतु प्रशिक्षित करने के लिए कोई पहल (जुलाई 2013) नहीं की है।

प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2012) कि डीएफजीसी के ओ एण्ड एम को तीन पालियों में करने के लिए चार जे.ई. तथा चार पी.ए.- II की आवश्यकता थी। परंतु कार्मिकों की कमी के कारण प्रशिक्षण हेतु कार्मिक उपलब्ध नहीं कराये जा सके इसके परिणामस्वरूप डीएफजीसी का ओ एण्ड एम आउटसोर्सिंग के द्वारा कराया जा रहा है।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, यद्यपि कंपनी ने संविदा में डीएफजीसी के ओ एण्ड एम के प्रशिक्षण का प्रावधान रखा था, परंतु वास्तव में जनशक्ति की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कोई कार्ययोजना नहीं तैयार की और न ही उपलब्ध या नवनियोजित पी.ए.- II व जे.ई. को प्रशिक्षित किया जिसके कारण ₹ 1.08 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

कंपनी को आगे हानि को रोकने के लिए डीएफजीसी का ओ एण्ड एम विभागीय स्तर पर कराने हेतु तत्काल कदम उठाने चाहिये ।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2013) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2013)।

[22] (₹ 55.79 लाख - ₹ 28.84 लाख) x 4 वर्ष

[23] ₹ 22318102/4 वर्ष

[24] (₹ 33043 एक जे.ई. का प्रतिमाह वेतन x 4 जे.ई x 12 माह)+ (₹ 27048 एक प्लॉट सहायक श्रेणी-II का प्रतिमाह वेतन x 4 प्लॉट सहायक श्रेणी-II x12 माह)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

3.9 शास्ति ब्याज का परिहार्य भुगतान

अग्रिम आयकर का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के कारण ₹ 45.46 लाख शास्ति ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर अधिनियम, 1961 (एक्ट) की धारा 208 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम आयकर देय होगा यदि करदाता द्वारा देय कर की राशि दस हजार या उससे अधिक है।अधिनियम की धारा 234(ब) प्रावधान करती है कि किसी वित्तीय वर्ष में कोई करदाता धारा 208 के अधीन अग्रिम आयकर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है और ऐसे कर का भुगतान करने में विफल रहने या आंकलित कर के 90 प्रतिशत से कम भुगतान करने पर करदाता अप्रैल के पहले दिन से प्रत्येक माह के लिये आंकलित कर से कम भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

इसके अलावा अधिनियम की धारा 234(स) प्रावधान करती है कि यदि एक करदाता अग्रिम कर का भुगतान करने में विफ्ल होता है या अग्रिम कर का देय तिथि 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 15 मार्च तक क्रमशः 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत से कम भुगतान करता है, तो करदाता कम भुगतान की गई राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से इसकी पाँच[25] उत्तराधिकारी कंपनियों को संपत्तियों, व्यवसायों, हितों, अधिकारों, दायित्वों, कार्मिकों तथा कार्यवाहियों के हस्तांतरण हेतु 1 जनवरी 2009 से प्रभावशील "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल हस्तांतरण स्कीम नियम 2010" (हस्तांतरण स्कीम) जारी (मार्च 2010) किया। हस्तांतरण स्कीम के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (कंपनी) द्वारा अन्य चार उत्तराधिकारी कंपनियों के मध्य सुचारू कार्य निष्पादन हेतु समन्वय का कार्य किया जाना था।

हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी ने ₹ 17.52 करोड़ की ब्याज से आय को सम्मिलित करते हुए ₹ 17.63 करोड़ की आय अर्जित की। परंतु कंपनी एक्ट की धारा 208 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त आय पर अग्रिम कर को निर्धारित अवधि में भुगतान करने में असफल रही तथा आयकर का भुगतान 29 सितंबर 2011 को वर्ष 2010-11 हेतु आयकर विवरण दाखिल करते समय किया। चूँकि ब्याज से आय निश्चित आय है तथा कंपनी को भी इसका ज्ञान था, इसे एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम आयकर का भुगतान करना चाहिए था। अग्रिम कर का भुगतान नहीं किये जाने के कारण कंपनी को ₹ 39.91 लाख[26] शास्ति ब्याज का भुगतान (29 सितंबर 2011) करना पड़ा। पुनः, धारा 234 (स) के अंतर्गत, वर्ष 2011-12 के लिए अग्रिम कर का कम भुगतान करने के कारण ₹ 5.55 लाख शास्ति ब्याज का भुगतान भी (सितंबर 2012) करना पड़ा।

---

[25] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

[26] एक्ट की धारा 234 बी - ₹ 21.67 लाख तथा धारा 234 सी - ₹ 18.24 लाख

इस प्रकार वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 हेतु एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने मे कंपनी की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 45.46 लाख के शास्ति ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

प्रबंधन ने कहा (जून 2013) कि कंपनी ने, सहायक कंपनियों को दिये गये ब्याज सहित ऋण को ब्याज रहित ऋण में परिवर्तित करने के माध्यम से कर दायित्व को कम करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाये हैं। ऐसा करके इसने वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में क्रमशः ₹ 2.11 करोड़ तथा ₹ 4.88 करोड़ की बचत की है। प्रबंधन ने यह भी कहा कि इसके प्रभावशाली अनुनय के कारण इन्होंने आयकर विभाग से पूर्ववर्ती सीएसईबी के समय का ब्याज संबंधी ₹ 21.54 करोड़ को शामिल करते हुए ₹ 251.41 करोड़ की आयकर वापसी प्राप्त की है। प्रबंधन ने आगे यह कहा कि ₹ 45.46 लाख का दाण्डिक ब्याज ₹ 21.54 करोड़ के आयकर विभाग से प्राप्त ब्याज की तुलना में बहुत कम है।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर प्रासंगिक तथा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपने प्रत्युत्तर में प्रबंधन ने अपने द्वारा कर सुधार, आयकर विभाग से कर वापसी हेतु किये गये प्रयासों का ब्यौरा दिया। यह कार्य, प्रबंधन का वैधानिक दायित्व है तथा यह किसी भी तरह आयकर देयताओं पर किये गये शास्ति ब्याज जो कि महत्वपूर्ण राशि है के परिहार्य भुगतान को स्पष्ट या क्षमा नहीं करता। ना ही इन कार्यों से आयकर के समय पर भुगतान के कोई विपरीत प्रभाव पड़ सकता था।

कंपनी को चाहिये कि वह एक्ट के प्रावधानों के अनुसार समय पर अग्रिम आयकर भुगतान करने हेतु प्रणाली की योजना तैयार करे।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2013) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2013)।

सामान्य

3.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.10.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं विभागो द्वारा धारित लेखों एवं अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण के साथ प्रारंभ होकर उनकी समीक्षा करते हुए चरम स्थिति को प्रदर्शित करते है। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि उन पर उपयुक्त एवं समयबद्व प्रतिक्रिया कार्यपालिका द्वारा हो।

वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका में क्रमशः मार्च 2010, मार्च 2011, अप्रेल 2012 तथा मार्च 2013 मे रखे जा चुके हैं। वर्ष 2008-09 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) तथा वर्ष 2011-12 के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पी.एस.यू.) में सम्मिलित सात विभागों के अंतर्गत कार्यरत 11 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से संबंधित 17 कण्डिकाओं/निष्पादन लेखा परीक्षाओं में से 11 कण्डिकाओं के संबंध में सरकार से 30 सितंबर 2013 तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा कि निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल कण्डिकाओ/निष्पादन लेखापरिक्षा	संबंधित विभागों की संख्या	कण्डिकाओं की संख्या जिसके लिए प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुए
2008-09	6	6	2
2011-12	11	5	9
योग	**17**		**11**

विभागवार विश्लेषण ***अनुलग्नक - 3.7*** में दिया गया है

सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.10.2 वर्ष 2001-02 से 2010-12 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल एवं वाणिज्यिक) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पी.एस.यू.) में 66 कण्डिकाओं तथा सात निष्पादन लेखापरीक्षाओं को शामिल किया गया। इनमें से 46 कण्डिकाओं तथा पॉच निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा 30 सितंबर 2013 तक चर्चा की जा चुकी है। सार्वजनिक उपक्रम समिति ने वर्ष 2001-02 से 2009-10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की छः कण्डिकाओं के संबंध में अनुशंसाएँ दी हैं। निष्पादन लेखा परीक्षाओं पर कोई भी अनुशंसा अभी तक नहीं की गई है।

सार्वजनिक उपक्रम समिति के कार्यकारी नियमों के अनुसार विभागों को उनसे संबंधित अनुशंसाओं पर कार्यवाही विवरण (एक्शन टेकन नोट्स) तीन माह के अंदर समिति को प्रस्तुत करना आवश्यक है। 30 सितंबर 2013 तक 2001-02 से 2009-10 के वर्षों के लिए केवल एक एक्शन टेकन नोट प्राप्त हुआ।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

3.10.3 लेखा परीक्षा के दौरान ध्यातव्य एवं मौके पर निराकृत न हुई लेखापरीक्षा आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों(आई. आर.) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को सूचित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को आई.आर. का उत्तर इनकी प्राप्ति के चार सप्ताह की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। मार्च 2013 तक 13 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित जारी निरीक्षण प्रतिवेदन परिलक्षित करते है कि 198 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 580 कण्डिकाएं सितंबर 2013 को अनिराकृत रही। निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनिराकृत कण्डिकाओं की 30 सितंबर 2013 को विभागवार स्थिति ***अनुलग्नक - 3.8*** मे दी गई है।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव तथा प्रधान सचिव, वित्त को छः सप्ताह की अवधि के भीतर तथ्यों तथा आंकड़ो की पुष्टि तथा उन पर उनकी टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए अग्रेषित की जाती है। मई 2013 से जुलाई 2013 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रेषित नौ प्रारूप कण्डिकाओं तथा एक समीक्षा मे से शासन द्वारा तीन प्रारूप कण्डिकाओं का उत्तर अब तक दिया गया है (सितंबर 2013)। छः प्रारूप कण्डिकाओं तथा एक समीक्षा का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है जैसा कि ***अनुलग्नक - 3.9*** मे वर्णित है।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि (अ) जो कर्मचारी निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कण्डिकाओं/ समीक्षाओं एवं लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही विवरण (एक्शन टेकन नोट्स) से संबंधित उत्तरों को भेजने मे विफल रहते हैं, उन पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया विद्यमान है, (ब) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली समयबद्व तरीके से किये जाने की कार्यवाही की गई है तथा (स) लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर देने से संबंधित प्रणाली का नवीकरण किया जाना चाहिए।

रायपुर **(पूर्ण चन्द्र माझी)**
दिनांक **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**